

09/4/24

पत्रावली पेश। वकीलवादी हाजिर। प्रकरण में वकील
वादी को प्रतिवादीगणों के नोटिस पेश करने हेतु
पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। पत्रावली में
बार-2 आदेश के बावजूद भी आज दिनांक तक
नोटिस की रसीदें पेश नहीं। अतः वादी का
बाद आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया
जाता है। पत्रावली फॉल्लो शुमार होकर नम्बर
सँ कम होकर दायित्व दफ्तर है।

